[illegible] नक्शा (मैट्रिक शीट)
ग्राम – डिंडवालसर व० सुजानसर
तहसील श्रीडूंगरगढ़
जिला – बीकानेर
पैमाना :- 1 सेमी = 40 मीटर
अर्थात् 1 : 4000

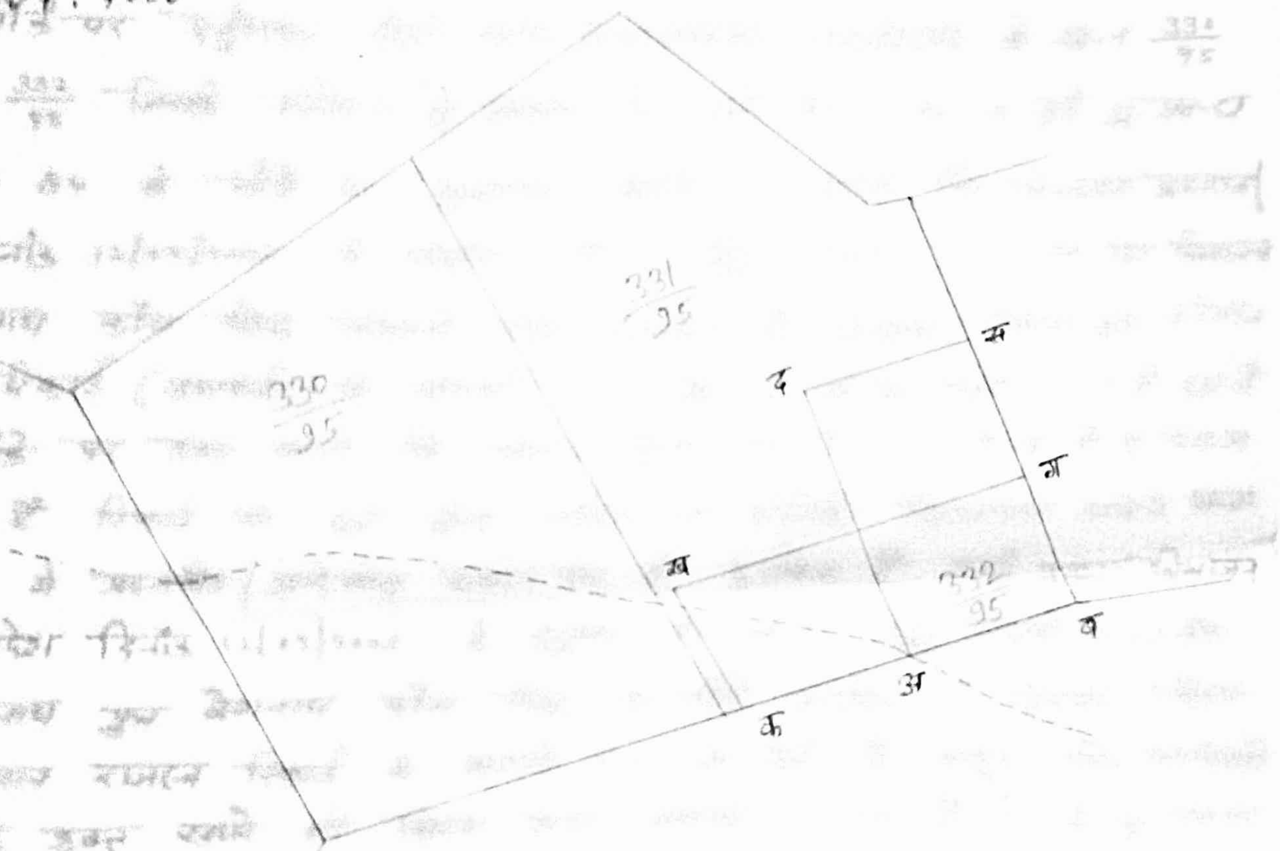

नोट :- नकल नक्शा (मैट्रिक शीट) मुताबिक असल व मौके के है तथा राजकार्य हेतु नि:शुल्क तैयार की गई।

संकेत :- ख.नं. 332/95 की वर्तमान अनुमानित आकृति जो पीले (पीले पेंसिल) अंकित की है = बिन्दु :- अ इ स ग

ख.नं. 332/95 की पुरानी [illegible] आकृति जो [illegible] स्थापित [illegible]
बिन्दु :- स ख ग ब

राजकार्य हेतु नि:शुल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 83/2021
ऑनलाईन नंबर 2021/137

निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. उदनाथ पुत्र बेगनाथ जाति सिद्ध निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
2. हेमनाथ पुत्र बेगनाथ जाति सिद्ध निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी खेत पुराना खसरा नम्बर 84 तादादी 55 बीघा 15 बिस्वा रोही ग्राम इन्दपालसर गुंसाईसर में स्थित है। उपर्युक्त खेत का खाता विभाजन प्रार्थी व उसके भाइयों हेमनाथ, खींयानाथ व छतुनाथ के मध्य दिनांक 12.09.2005 को किया गया। खाता विभाजनानुसार पुराना खेत खसरा नंबर 84 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा रोही ग्राम इन्दपालसर गुंसाईसर में हिस्से पांति में आई व 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से पांति में आई। खाता विभाजन करवाते समय नक्शा अक्श में भी विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके तहत उतर–पूर्वी 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सा पांति में आयी जिसके खसरा संख्या 84 मिन कायम किये गये व 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के हिस्सा पांति में आयी। जिसके खसरा संख्या 84 मिन कायम किये गये। प्रार्थी के हिस्से की भूमि दक्षिणी तरफ से पूर्वी से पश्चिमी तरफ चलते हुए कटाणी रास्ता तक आयी जिसका नक्शा में उल्लेखित किया गया व खातेदारान के हस्ताक्षर किये गये व हल्का पटवारी द्वारा भी अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया गया। यह है कि हैक्टेयर प्रणाली के सेटलमेंट के समय प्रार्थी का खसरा संख्या 84 मिन 5 बीघा 15 बिस्वा के खसरा नम्बर 332/95 तादादी 1.45 हैक्टेयर कायम हुए व अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना खसरा नंबर 84 मिन तादादी 22 बीघा 10 बिस्वा का खसरा नंबर 331/95 तादादी 5.69 कायम हुए। नये सेटलमेंट के समय नक्शा अक्श में प्रार्थी का खेत कटाणी रास्ते से दूर उत्तर से दक्षिण की ओर बढाते हुए नक्शा कायम किया गया जो विभाजन के अनुसार नहीं है। प्रार्थी को उपर्युक्त नक्शा की त्रुटि की जानकारी होने पर विभाजन आदेश दिनांक 12.09.2005 की सत्यापित नकल लेने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 से मिला व नक्शा में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए नक्शा में त्रुटि को सुधारने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। वर्तमान में प्रार्थी के खेत से कटाणी रास्ता जो मूल खसरा में अवस्थित था से दूर है। ऐसी स्थिति में भविष्य में रास्ते के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य किसी अन्य बात को लेकर मनमुटाव होने की स्थिति में आवागमन व खेती बाड़ी में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है। वादगत खेत रोही ग्राम इन्दपालसर गुंसाईसर में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना–पत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 332/95 तादादी 1.45 हैक्टेयर रोही ग्राम इन्दपालसर गुंसाईसर के नक्शा अक्श में मतवन दर्ज किया गया को दुरूस्त कर पूर्व में दिनांक 12.09.2005 के अनुसार पश्चिम की ओर स्थित कटाणी रास्ता तक किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य कोई हितकर अनुतोष जो दौराने प्रार्थना–पत्र हो जावे सो भी प्रार्थी को अनुग्रहीत करें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। वहस पर मनन किया गया। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में अप्रार्थीगण को आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

पुराना खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 55 बीघा 15 विस्वा रोही ग्राम इन्दपालसर गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में खाता विभाजन प्रस्ताव /आदेश दिनांक 12.09.2005 व मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शा व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.21 16:26:15 IST
Reason: SelfAttested